

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 464

प्रकरण क्रमांक -SM-REG-2025-03106

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बिलासपुर ट्रेड सेंटर" (1) हाउसिंग कार्ट, डायरेक्टर-
श्री अर्पण अग्रवाल, पता-महिला बाल विकास कार्यालय के पीछे, जोरापारा,
सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) (2) श्री गौरव अग्रवाल, पता-सकुन्तलम, लिंक
रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"बिलासपुर ट्रेड सेंटर" पता-तिफरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
17/09/2026	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदकगण द्वारा अधिवक्ता श्री समर्थ श्रीवास्तव उपस्थित। – रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2025-02798 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2025 के तारतम्य में अधिनियम की धारा-9 के प्रावधानों का उल्लंघन है, अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-62 एवं सुसंगत धाराओं के अधीन प्रमोटर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा के प्रतिवेदनानुसार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "बिलासपुर ट्रेड सेंटर" पता-तिफरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) का संप्रवर्तक/प्रमोटर-(1) हाउसिंग कार्ट, द्वारा-डायरेक्टर श्री अर्पण अग्रवाल, पता-महिला बाल विकास ऑफिस के पीछे, जोरा पारा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.), (2) श्री गौरव अग्रवाल, पता-सकुन्तलम, लिंक रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-9 के वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। – प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई-मेल के द्वारा भी नोटिस व दस्तावेज प्रेषित किये गये। – अनावेदक क्रमांक-01 द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है। यह जवाब कुछ निर्विवाद दस्तावेजों और महत्वपूर्ण तथ्यों को रिकार्ड पर लाने के दाखिल किया जा रहा है, जो इस आरोप को पूरी तरह से खारिज किया जाता है कि विवादित लेन-देन हाउसिंग कार्ट द्वारा किया गया था। प्रारंभ में ही अनावेदक	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 464

प्रकरण क्रमांक -SM-REG-2025-03106

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बिलासपुर ट्रेड सेंटर" (1) हाउसिंग कार्ट, डायरेक्टर-
श्री अर्पण अग्रवाल, पता-महिला बाल विकास कार्यालय के पीछे, जोरापारा,
सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) (2) श्री गौरव अग्रवाल, पता-सकुन्तलम, लिंक
रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"बिलासपुर ट्रेड सेंटर" पता-तिफरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	का कथन है कि आवेदक द्वारा जिस लेन-देन पर भरोसा किया गया है, वह कभी भी हाउसिंग कार्ट द्वारा नहीं किया गया था और न ही कंपनी द्वारा किसी भी समय इसे अधिकृत अनुमोदित पृष्ठ या अपनाया गया था। दिनांक 25.04.2024 के कथित समझौते से ही यह स्पष्ट होता है कि हाउसिंग कार्ट अनुबंध करने वाला पक्ष नहीं है। उक्त समझौते में हाउसिंग को न तो विक्रेता, न ही क्रेता और न ही पुष्टि करने वाला पक्ष बताया गया है। शिकायतकर्ता श्री अर्पण डेंगला को हाउसिंग कार्ट से प्रतिफल प्राप्त करने, लेन-देन करने या उनकी ओर से कार्य करने के लिये अधिकृत करने वाला कोई संकल्प पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्राधिकार पत्र या कोई कॉर्पोरेट दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है। कंपनी द्वारा श्री अर्पण डेंगला को कथित लेन-देन के संबंध में ग्राहकों से धन एकत्र करने के लिये कभी भी अधिकृत नहीं किया गया है। दिनांक 24.04.2024 की कथित रसीद से हाउसिंग कार्ट द्वारा धन की प्राप्ति सिद्ध नहीं होती है। केवल मुद्रित रसीद या लेटरहेड से यह साबित नहीं हो सकता कि कंपनी को राशि प्राप्त हुई थी। ऐसा कोई बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक, लेजर, जी.एस.टी. रिटर्न, ऑडिटेड बैलेंस शीट या आयकर रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि कथित विचार राशि कभी हाउसिंग कार्ट के खाते में जमा की गई थी। शिकायतकर्ता यह साबित करने में भी विफल रहा है कि कंपनी को कथित लेन-देन से कोई वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। दस्तावेजी सामग्री स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि कथित लेन-देन श्री अर्पण डेंगला द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में स्वतंत्र रूप से बातचीत और निष्पादित किया गया था। यदि श्री अर्पण डेंगला द्वारा तीसरे पक्ष के साथ व्यवहार करते समय हाउसिंग कार्ट के नाम, मुद्रित स्टेशनरी, सद्भावना या व्यावसायिक पहचान का उपयोग किया गया, तो ऐसा उपयोग पूरी तरह से अनाधिकृत, अवैध और कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। किसी व्यक्ति का अनाधिकृत कार्य किसी कंपनी के विरुद्ध नागरिक या वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं कर सकता, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाये कि ऐसा	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 464

प्रकरण क्रमांक -SM-REG-2025-03106

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बिलासपुर ट्रेड सेंटर" (1) हाउसिंग कार्ट, डायरेक्टर-
श्री अर्पण अग्रवाल, पता-महिला बाल विकास कार्यालय के पीछे, जोरापारा,
सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) (2) श्री गौरव अग्रवाल, पता-सकुन्तलम, लिंक
रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"बिलासपुर ट्रेड सेंटर" पता-तिफरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	कार्य कंपनी द्वारा अधिकृत या बाद में अनुमोदित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री अर्पण डेंगला द्वारा स्वयं दिनांक 23.05.2024 को एक नोटरीकृत हलफनामा निष्पादित किया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि उनके कार्यकाल के दौरान किये गये लेन-देन से उत्पन्न सभी देनदारियाँ उनकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। श्री अर्पण डेंगला द्वारा शपथपूर्वक यह भी कहा गया कि बाद का प्रबंधन पूर्ववर्ती प्रबंधन के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। लेन-देन और ऐसी सभी देनदारियों का निर्वहन वह स्वयं करेगा। उक्त हलफनामा हितों के विरुद्ध एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है और यह इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करता है कि हाउसिंग कार्ट विवादित लेन देन के लिये उत्तरदायी है। शपथ पत्र के माध्यम से स्वेच्छा से अनन्य जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद श्री अर्पण डेंगला हाउसिंग कार्ट पर ऐसी देनदारी को स्थानांतरित करने या सौंपने से रोक दिये गये हैं। अनावेदक द्वारा निवेदन किया गया है कि यदि धन प्राप्ति, दलाली गतिविधियों या भूसंपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-9 के तहत एक अपंजीकृत भू-संपदा एजेंट के रूप में कार्य करने से संबंधित कोई उल्लंघन है, तो रिकार्ड पर उपबंध दस्तावेजों के आधार पर यह केवल श्री अर्पण डेंगला को ही सौंपा जा सकता है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से लेन-देन किया गया था। हाउसिंग कार्ट द्वारा न तो लेन देन पर बातचीत की गई, न ही प्रतिफल राशि प्राप्त की गई, न ही समझौते पर हस्ताक्षर किये गये और न ही श्री अर्पण डेंगला को कंपनी का प्रतिनिधि करने के लिये अधिकृत किया गया। इसलिये हाउसिंग कार्ट पर दायित्व तय करने के लिये आवश्यक तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। किसी भी कानूनी या दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में हाउसिंग कार्ट के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अतः यह निवेदन किया जाता है कि यह प्राधिकरण यह माने कि विवादित लेन-देन श्री अर्पण डेंगला का पूर्णतः स्वतंत्र और अनाधिकृत कृत्य था तथा हाउसिंग कार्ट को न तो भू-संपदा (विनियमन और विकास)	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 464

प्रकरण क्रमांक -SM-REG-2025-03106

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बिलासपुर ट्रेड सेंटर" (1) हाउसिंग कार्ट, डायरेक्टर-
श्री अर्पण अग्रवाल, पता-महिला बाल विकास कार्यालय के पीछे, जोरापारा,
सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) (2) श्री गौरव अग्रवाल, पता-सकुन्तलम, लिंक
रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"बिलासपुर ट्रेड सेंटर" पता-तिफरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	अधिनियम, 2016 की धारा-9 के अंतर्गत और न ही ऐसे अनाधिकृत कृत्यों से उत्पन्न किसी अन्य विधि के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदक द्वारा प्रकरण को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। अनावेदक क्रमांक-02 द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है। इस अनावेदक के विरुद्ध जारी किया गया नोटिस अनुचित और भ्रामक है, क्योंकि आवेदक श्री संतोष बनर्जी द्वारा लगाये गये आरोप के अनुसार उसका लेन-देन से कोई संबंध या संलिप्तता नहीं थी। कथित लेन-देन, संचार या समझौते का पक्षकार नहीं था। यह संपूर्ण लेन-देन और केवल उन दोनों के मध्य हुये व्यवहार से संबंधित है। अनावेदक द्वारा इस मामले में कभी भी रियल एस्टेट एजेंट या मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं किया गया है। अनावेदक द्वारा कथन किया गया है कि मुख्य कार्यवाही में आवेदक श्री संतोष बनर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर में उन्होंने स्वयं स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातें कही गई हैं :- "इस मामले के दौरान आवेदक को यह जानकारी थी कि अनावेदक क्रमांक-2 दिनांक 25.04.2024 के बाद हाउसिंग कार्ड फर्म में आया था, इसलिये आवेदक उसके विरुद्ध किसी भी दावे में रुचि नहीं रखता है, लेकिन अनावेदक क्रमांक-1 और 02 विधिवत् जिम्मेदार है।" आवेदक का यह स्पष्ट कथन स्पष्ट रूप से और बिना किसी संदेह के यह स्थापित करता है कि :- जवाब देने वाले अनावेदक द्वारा दिनांक 25.04.2024 के बाद ही फर्म में काम करना शुरू किया गया था; आवेदक का उसके विरुद्ध कोई दावा या शिकायत नहीं है; इसलिये अनावेदक के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई या दायित्व नहीं बनता है। अनावेदक को केवल इसलिये पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि वह वर्तमान में हाउसिंग कार्ट नाम फर्म में निदेशक के पद पर कार्यरत है। उसका शामिल होना मात्र औपचारिक है और विवादित तथ्यों से इसका कोई	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 464

प्रकरण क्रमांक -SM-REG-2025-03106

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बिलासपुर ट्रेड सेंटर" (1) हाउसिंग कार्ट, डायरेक्टर-
श्री अर्पण अग्रवाल, पता-महिला बाल विकास कार्यालय के पीछे, जोरापारा,
सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) (2) श्री गौरव अग्रवाल, पता-सकुन्तलम, लिंक
रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"बिलासपुर ट्रेड सेंटर" पता-तिफरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	संबंध नहीं है। चूंकि उन्होंने कथित लेन-देन के बाद पदभार ग्रहण किया गया, इसलिये फर्म में शामिल होने से पहले हुई किसी भी घटना या चूक के लिये उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अधिनियम की धारा-9 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अनावेदक द्वारा कभी भी रियल एस्टेट एजेंट के रूप में कार्य नहीं किया गया है और न ही भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-9 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता वाली संपत्ति दलाली या मध्यस्थ गतिविधि में संलग्न रहा है। इसलिये धारा-9 के उल्लंघन का आरोप और धारा-62 के तहत संबंधी कार्यवाही शुरू करना तथ्यात्मक रूप से गलत और कानूनी रूप से निराधार है। यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि कंपनी के निदेशक को कंपनी या अन्य निदेशकों के पिछले कृत्यों के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि व्यक्तिगत संलिप्तता, सहमति या मिलीभगत का विशिष्ट प्रमाण न हो। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। — प्राधिकरण द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अधिनियम की धारा-9 का उद्धरण निम्नानुसार है:- “कोई भी भू-संपदा अभिकर्ता इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किये बिना ऐसी किसी भू-संपदा परियोजना में, यथास्थिति किसी भूखण्ड, अपार्टमेंट या भवन का या इसके किसी भाग, जो धारा-3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भू-संपदा परियोजना का भाग हो और जिसका संप्रवर्तक द्वारा किसी योजना क्षेत्र में विक्रय किया जा रहा है, विक्रय या क्रय सुकर नहीं बनायेगा अथवा उसके विक्रय या क्रय को सुकर बनाने के लिये किसी व्यक्ति की ओर से कार्य नहीं करेगा।” अधिनियम की धारा-10 का उद्धरण निम्नानुसार है :-	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 464

प्रकरण क्रमांक -SM-REG-2025-03106

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बिलासपुर ट्रेड सेंटर" (1) हाउसिंग कार्ट, डायरेक्टर-
श्री अर्पण अग्रवाल, पता-महिला बाल विकास कार्यालय के पीछे, जोरापारा,
सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) (2) श्री गौरव अग्रवाल, पता-सकुन्तलम, लिंक
रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"बिलासपुर ट्रेड सेंटर" पता-तिफरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	" धारा-9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक भू-संपदा अभिकर्ता :- (क) किसी भू-संपदा परियोजना में, यथास्थिति किसी भूखण्ड, अपार्टमेंट या भवन या उसके भाग का, जिसका ऐसे संप्रवर्तक द्वारा किसी योजना क्षेत्र में, जो प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है, विक्रय किया जा रहा है, विक्रय या क्रय सुकर नहीं बनायेगा; (ख) अपनी ऐसी लेखा बहियां, अभिलेख और दस्तावेज बनाये रखेगा और परिरक्षित रखेगा, जो कि विहित किये जाये; (ग) अपने को किन्हीं अऋजु व्यापार पद्धतियों में अर्थात् :- (i) ऐसा कोई कथन करने की, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में या दृश्यरूपण द्वारा ऐसी पद्धति में :- (अ) जिससे मिथ्या रूप से यह व्यपदिष्ट होता है कि सेवाएँ किसी विशिष्ट मानक या श्रेणी की हैं; (आ) जिससे यह व्यपदिष्ट होता है कि संप्रवर्तक को या उसके ऐसा अनुमोदन या संबंधन प्राप्त है, जो कि संप्रवर्तक के पास नहीं है; (इ) जिससे संबंधित सेवाओं के बारे में मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन होता है; (ii) किसी समाचार पत्र में या अन्यथा उन सेवाओं के बारे में, जिनकी प्रस्थापना किसी जाना आशयित नहीं है, किसी विज्ञापन के प्रकाशन को अनुज्ञात करने की दृष्टि से, आलिप्त नहीं करेगा; प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2025-02798 पारित आदेश दिनांक 19.09.2025 के पृष्ठ क्रमांक-07 के पैरा में उल्लेख है, कि हाउसिंग कार्ट द्वारा 13,00,000 रु. का भुगतान श्री संतोष बनर्जी द्वारा प्राप्त किया गया है, अन्य रसीद 154 दिनांक 24.04. अस्पष्ट में श्री संतोष बनर्जी से 17,00,000 रु. का भुगतान हाउसिंग कार्ट से प्राप्त किये जाने की पावती है। उक्त प्रकरण में प्रमोटर अम्बे रियलटीज द्वारा हाउसिंग	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 464

प्रकरण क्रमांक -SM-REG-2025-03106

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बिलासपुर ट्रेड सेंटर" (1) हाउसिंग कार्ट, डायरेक्टर-
श्री अर्पण अग्रवाल, पता-महिला बाल विकास कार्यालय के पीछे, जोरापारा,
सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) (2) श्री गौरव अग्रवाल, पता-सकुन्तलम, लिंक
रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"बिलासपुर ट्रेड सेंटर" पता-तिफरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	कार्ट को विपणन अथवा प्रतिफल प्राप्ति हेतु किसी प्रकार से अधिकृत किये जाने के संबंध में नकारात्मक निष्कर्ष निकाला गया। स्पष्ट है, कि हाउसिंग कार्ट द्वारा अप्राधिकृत रूप से श्री संतोष बनर्जी से भू-संपदा के लिए प्रतिफल की प्राप्ति की गई है। किंतु हाउसिंग कार्ट भू-संपदा अभिकर्ता के रूप में प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं है। प्राधिकरण के उक्त निष्कर्ष एवं पारित आदेश को माननीय छ.ग. भू-संपदा अपीलीय अधिकरण, रायपुर अथवा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग., बिलासपुर के समक्ष कोई चुनौती नहीं दी गई है, न ही उक्त आदेश के विरुद्ध किसी वरिष्ठ न्यायालय का अन्यथा कोई विपरीत आदेश है। अस्तु उक्त आदेश अंतिम हो चुका है, जिसमें बिना अभिकर्ता के पंजीयन कराए अनावेदक हाउसिंग कार्ट द्वारा भू-संपदा आबंटिती से प्रतिफल प्राप्त किया गया है, जो कि अधिनियम की धारा-09 एवं धारा-10 उपधारा 'ग'(आ)(ई) का उल्लंघन है, अतः अनावेदक क्रमांक 01 हाउसिंग कार्ट के विरुद्ध अधिनियम की धारा-09 एवं 10 उपधारा 'ग'(आ)(ई) का उल्लंघन करने के कारण अधिनियम की धारा-62 के अधीन 3,20,000/- रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक क्रमांक-01 30 दिवस के भीतर अधिरोपित शास्ति की राशि शासकीय मद-मुख्य शीर्ष 0216-आवास, उप मुख्य शीर्ष 02-शहरी आवास, लघु शीर्ष 105-भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 योजना क्रमांक 3201-रेरा द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड, जमा कराना सुनिश्चित करे। सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	